

प्रारूप-54

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी- देवलीखेत- ड्योड़खाल- सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि.मी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 7.85 कि.मी.) (2.205 है०)

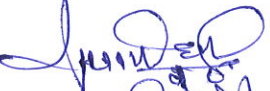
वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघन नहीं हुआ है।

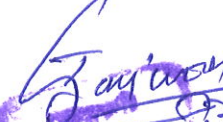

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,

वन क्षेत्राधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग


प्रमाणित किया जाता है
04-04-16


प्रशासी वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा


वन क्षेत्राधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग